



2026:AHC:49915

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - बी संख्या - 819 सन् 2026

शाहिद

... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद एवं 4 अन्य

... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कमला प्रसाद तिवारी, सौरभ कुमार तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अरविन्द सिंह, अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी
शुभम द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1- प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।

2- याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के.पी. तिवारी एवं श्री सौरभ कुमार तिवारी, प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द सिंह, प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी तथा ग्राम पंचायत की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पाण्डेय को सुना गया।

3- प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित राहत हेतु दायर की गई है—

"(i) प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2025, प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2025 तथा उपजिलाधिकारी, तहसील स्वार, जनपद-रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2022 को निरस्त करने हेतु प्रमाण-पत्र (Certiorari) के स्वरूप में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) प्रतिवादियों को ग्राम डुंडावाला मुस्तकम, तहसील स्वार, जनपद-रामपुर स्थित गाटा संख्या 551/0.4200 हेक्टेयर पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने हेतु परमादेश के स्वरूप में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

4- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विभाजन वाद में विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री विधिवत पारित की गई थी, किन्तु कुरा विधिसम्मत ढंग से तैयार नहीं किया गया। फलस्वरूप, याचिकाकर्ता ने लेखपाल द्वारा तैयार किए गए कुरा के विरुद्ध आपति दाखिल की। उक्त आपति अस्वीकृत कर दी गई तथा अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। इसके पश्चात याचिकाकर्ता द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील दायर की गई, जो निरस्त कर दी गई। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीय अपील, स्थगन प्रार्थना पत्र सहित, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है, किन्तु न्यायालय उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है, जिससे कि द्वितीय अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जा सके, क्योंकि निजी प्रतिवादी विवादित भूखण्ड पर निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं।

5- इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या-3 एवं 4 के अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के समक्ष द्वितीय अपील लंबित रहते हुए यह रिट याचिका ग्राह्य नहीं है। यह भी कहा गया कि कुरा विधिसम्मत रूप से तैयार किया गया था, अतः विभाजन वाद में पारित अंतिम डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6- पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7- इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विभाजन वाद से उत्पन्न याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील अभी तक उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के समक्ष स्वीकार नहीं की गई है।

8- चूँकि याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील स्वीकार नहीं की गई है, अतः अंतरिम संरक्षण प्रदान करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9- न्यायहित में यह अपेक्षित है कि द्वितीय अपील को शीघ्रतापूर्वक स्वीकार हेतु सुना जाए।

10- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह रिट याचिका अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या-1 उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील के स्वीकृति के संबंध में इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश पारित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अंतरिम राहत हेतु प्रार्थना पत्र पर विचार, द्वितीय अपील की स्वीकृति के संबंध में पारित आदेश के अधीन किया जाएगा।

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।